न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2019(रसद)
पंजीयन दिनांक 11.11.2019

राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

..........प्रार्थी

बनाम

श्री भगवत सिंह पिता हरिसिंह निवासी केसरपुरा थाना भदेसर हाल होटल हाईवे द रिठोला, जिला चित्तौड़गढ़

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने बाबत।

उपस्थितिः- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 28.01.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.2019 को श्री कमल प्रसाद, पुलिस उप अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को श्री भगवत सिंह पिता हरिसिंह निवासी केसरपुरा द्वारा होटल हाईवे द रिठोला पर अवैध रूप से इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थ भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करने की जरिए मुखबीर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जांच की गई, मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने अपना नाम मुन्ना पिता कल्याण मीणा निवासी कंथारिया होना बताया। मौके पर उपस्थित एक अन्य व्यक्ति भाग खडा हुआ उसके बारे में पूछने पर उसका नाम श्री भगवत सिंह पिता हरिसिंह राजपूत होना तथा यह होटल श्री भगवत सिंह द्वारा संचालित होना बताया। होटल परिसर का मुआयना करने पर लोहे के ड्रम जिसके अन्दर 220 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एक अन्य लोहे का ड्रम जिसमें भी 220 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ, आसमानी रंग के चार प्लास्टिक के जरिकेन जिसमें प्रत्येक में 60 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ तथा एक प्लास्टिक की जरिकेन जिसमें 24 लीटर एवं एक मल्टी रंग की प्लास्टिक की

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

जरिकेन जिसमें 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ तथा साथ में प्लास्टिक की नली, प्लास्टिक का कीमा, लोहे के मैजर एवं गेज होना पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय एवं भण्डारण हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तथा न ही किसी प्रकार का दस्तावेज होना बाद में स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने से उक्त सामग्री जरिये फर्द जब्त की गई। इस प्रकार श्री भगवत सिंह पिता हरिसिंह निवासी केसरपुरा हाल होटल हाईवे द रिठोला का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 एवं केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थ भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल आदि पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा अपने होटल पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण किया हुआ पाया तथा 2 ड्रमों प्रत्येक में 220 लीटर, आसमानी रंग के 4 जरिकेन में प्रत्येक में 60-60 लीटर, एक प्लास्टिक की जरिकेन जिसमें 24 लीटर व एक मल्टी रंग की प्लास्टिक की जरिकेन में 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय प्लास्टिक की नली, प्लास्टिक का कीमा, लोहे का मैजर एवं गेज आदि अन्य सामग्री मौके पर पाए गए तथा उक्त स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ रखने, क्रय करने, व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज, अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षी द्वारा अपने प्रतिष्ठान/होटल पर इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थ चोरी से निकाल कर उनका अवैध भण्डारण करना, खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 18/2019 (रसद)
राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री भगवत सिंह पिता हरिसिंह निवासी केसरपुरा हाल होटल हाईवे द रिठोला

पेट्रोल-डीजल भरने व खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना एवं उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 734 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम, जरिकेने एवं अन्य सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 15.10.2019 को जब्तशुदा 734 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम, जरिकेने एवं अन्य सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 734 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं अन्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

([illegible])
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)